HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 77/2004
URN: CFA / 136U / 2004

Smt Shanti Rani & Ors.

----Appellants

Versus

Ramchandra Gupta & Ors.

----Respondents

---

| | | |
|---|---|---|
| For Appellant(s) | : | Ms. Suruchi Kasliwal, Adv.<br>Ms. Pooja Choudhary, Adv.<br>Ms. Alisha Chopra, Adv. |
| For Respondent(s) | : | Mr. Akash Gupta, Adv. |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI**

**Order**

**03/07/2026**

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि वे अपील में बहस के लिए तैयार हैं और अपील के साथ ही प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 5 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का निस्तारण भी किया जावे।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि दिनांक 15.01.2026 को न्यायालय ने आदेश 41 नियम 5 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र पर पहले सुनवाई करना उचित माना था। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र का पहले निस्तारण किया जावे और यदि अपील पर सुनवाई करके उसका निस्तारण किया जाता है, तो उक्त प्रार्थना पत्र को लंबित रखा जावे।

सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

यह अपील वर्ष 2004 से लंबित है व अत्यंत पुराने प्रकरणों में शामिल है। दिनांक 18.07.2022 को न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक

22.05.2012 को पारित आदेश के अनुरूप इस प्रथम अपील के साथ ही प्रार्थना पत्र संख्या 19679/2018 को सुनने का आदेश प्रदान किया था। चूंकि अपील सुनवाई में नहीं आयी, ऐसी स्थिति में दिनांक 15.01.2026 को न्यायालय में प्रार्थना पत्र संख्या 19679/2018 पर पहले सुनवाई करना उचित माना। अपीलार्थी के अभिभाषक अपील पर बहस के लिए तैयार हैं।

ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.07.2022 की पालना में इस अपील के साथ उक्त प्रार्थना पत्र को सुनकर आदेश प्रदान किया जाना न्यायसंगत व उचित प्रतीत होता है। प्रथम अपील पर बहस सुनकर निर्णय किये जाने के पश्चात उक्त प्रार्थना पत्र को लंबित रखे जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है।

अतः दोनों पक्ष आगामी पेशी पर इस प्रथम अपील व प्रार्थना पत्र संख्या 19679/2018 पर आवश्यक रूप से बहस करें।

प्रकरण दिनांक 07.07.2026 को पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI/38